

## न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

## उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली - प्रार्थी  
बनाम

1. ग्राम पंचायत गुवरेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, गुवरेडा
2. ग्राम पंचायत गुवरेडा जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गुवरेडा - अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

दिनांक-21.10.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 577/1 रकबा 4-00 बीघा ग्राम गुवरेडा तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 577 रकबा 8-01 बीघा ग्राम गुवरेडा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. पोखर दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2019-2022 तक के खाता सं 229 से ग्राम पंचायत गुवरेडा के नाम दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में ग्राम पंचायत गुवरेडा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 577/1 रकबा क्रमशः 4-00 बीघा बाके ग्राम गुवरेडा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. पोखर दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2019-22, 2072-75 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थीयान ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नं. 577/1 रकबा 4-00 बीघा जमाबन्दी संवत् 2019-2022 में अन्य सरकारी विभागों अथवा सार्वजनिक संस्थानों द्वारा रखी जाने (पंचायत के अधीन) के रूप में दर्ज है जो नियमानुसार पंचायत के अधीन राज्य सरकार के द्वारा दर्ज की गई है। अंत में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

वक्त बहस अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।


हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 577/1 रकबा 4-00 बीघा गै.मु. पोखर दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी संवत् 2019-2022 के खाता संख्या 229 से ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर दी गई है। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072-75 तक में ग्राम पंचायत के अधीन दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. पोखर दर्ज थी एवं किस्म आज भी वही है। ग्राम पंचायत निजी उपक्रम ना होकर सरकारी उपक्रम ही है जिसके नाम जमीन होने पर इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय

जिला कलक्टर  
करौली

उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 की मंशा के अनुरूप उक्त भूमि को सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 अस्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गुवरेडा की आराजी खसरा नंबर 577/1 रकबा 4-00 बीघा के ग्राम पंचायत गुवरेडा के नाम दर्ज इन्द्राजों को यथावत् रखा जाता है। सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गुवरेडा को आदेश दिये जाते हैं कि वे उक्त भूमि को डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 की मंशा के अनुरूप सुरक्षित रखें। ग्राम पंचायत उक्त भूमि में किसी भी तरह का पट्टा, आवंटन या नियमन नहीं करे। उक्त भूमि जल संग्रहण के लिए है जिसमें जल संग्रहण में किसी भी तरह की रुकावट ग्राम पंचायत ना तो स्वयं करेगी और ना ही किसी दीगर व्यक्ति या संस्था को करने देगी। साथ ही उक्त भूमि में जल संग्रहण होने में किसी भी तरह की रुकावट होती है तो ग्राम पंचायत तुरंत उस रुकावट को दूर करेगी। उक्त भूमि में जल संग्रहण हेतु विकास कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत स्वंत्र रहेगी। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ. मोहन लाल यादव)  
जिला कलक्टर  
करौली